


कार्यालय:— जिला परिषद्, लातेहार ।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए जिला परिषद्, लातेहार के नियंत्रणाधीन विभिन्न सैरात की बंदोबस्ती संबंधी षष्ठम् सूचना

क्र०	सैरात का नाम	थाना	बंदोबस्ती की तिथि	समय	वर्ष 2017-18 की बंदोबस्ती की राशि	जमानत की राशि
01	बस पड़ाव, महुआडांड	महुआडांड	12/04/2018	11:00 AM	7,80,000	80,000

नोट :-

01. बंदोबस्ती की नियम एवं शर्तें कार्यालय के सूचना पट्ट पर कार्यालय अवधि में देखी जा सकती है तथा NIC लातेहार के वेबसाईट www.latehar.nic.in पर भी उपलब्ध है।
02. डाक में भाग लेने वाले व्यक्तियों के लिए स्थानीय प्रमाण-पत्र/पहचान पत्र/आधार कार्ड (इनमें से कोई एक) की छायाप्रति जमा करना अनिवार्य होगा। आवश्यकतानुसार मांगे जाने पर मूल प्रति प्रस्तुत करना होगा।


उप विकास आयुक्त-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद्, लातेहार।